

:: कार्यालय-जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जगदलपुर, जिला बस्तर (छ0ग0) ::

जिला न्यायालय परिसर, न्याय सदन भवन, जगदलपुर

दूरभाष क्रमांक - 07782-231250

E-Mail - dlsa.bastar@gmail.com



/// आदेश ///

क्रमांक - 25/जि.वि.से.प्रा.(LADCS)/2024,

जगदलपुर, दिनांक- 09 मई, 2024

इस जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अन्तर्गत स्थापित लीगल एड डिफेंस कौंसिल सिस्टम कार्यालय हेतु स्टाफ (Human Resources/Men Power)-Office Assistant, Receptionist-cum Data Entry Operator & Office Peon की संविदात्मक नियुक्ति छ0ग0राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, बिलासपुर के आदेश एवं अनुमोदनानुसार छ0ग0राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, बिलासपुर के पत्र क्रमांक 1328/LADCS-23/2024, बिलासपुर 3/5/2024 के अनुसार निम्नानुसार की जाती है :-

Office Assistant/Clerks पद हेतु -

चयन सूची :-

स.क्र.	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम
01	प्रशान्त साव	स्व.श्री अनिल कुमार साव

Receptionist-cum-Data Entry Operator पद हेतु -

चयन सूची :-

स.क्र.	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम
01	मुकुल आनंद जोशी	श्री भावेन्द्र जोशी

Office Peon पद हेतु -

चयन सूची :-

स.क्र.	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम
01	देवेन्द्र सलाम	श्री रामलाल सलाम

उक्त चयनित स्टाफ (Human Resources/Men Power)-Office Assistant, Receptionist-cum Data Entry Operator & Office Peon को माननीय जिला न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जगदलपुर के द्वारा निर्धारित मानदेय प्रतिमाह निम्नानुसार प्रदाय होगा :-

क.	पद का नाम	निश्चित मानदेय
1	कार्यालय सहायक/क्लर्क	संविदा एकमुश्त रूपये 17,000/- मासिक (इसके अतिरिक्त अन्य कोई भत्ता देय नहीं होगा)
2	रिसेप्शनिस्ट-सह-डाटा एंट्री ऑपरेटर (टायपिस्ट)	संविदा एकमुश्त रूपये 14,000/- मासिक (इसके अतिरिक्त अन्य कोई भत्ता देय नहीं होगा)
3	कार्यालय भृत्य (मुंशी/अटेन्डेंट)	संविदा एकमुश्त रूपये 10,000/- मासिक (इसके अतिरिक्त अन्य कोई भत्ता देय नहीं होगा)

निर्धारित शर्तें :-

- लीगल एड डिफेंस कौंसिल कार्यालय हेतु कार्यालय सहायक, रिसेप्शनिस्ट कम डाटा एन्ट्री आपरेटर, कार्यालय भृत्य/मुंशी पद के स्टाफ की पूर्णतया संविदात्मक नियुक्ति है, जिनका कार्यकाल/कार्यावधि नालसा के दिशा-निर्देशों के अनुसार ही निर्धारित किया जावेगा । वर्तमान में उक्त नियुक्ति एक वर्ष के लिये अर्थात् दिनांक 01.05.2024 से 30.04.2025 तक की अवधि के लिये है ।
- यदि कोई स्टाफ पदभार ग्रहण नहीं करता है या पदभार ग्रहण करने के पश्चात् अपने पद से त्याग पत्र दे देता है तो उस स्थिति में राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित प्रतीक्षा सूची में से वरीयता के आधार पर, उक्त स्टाफ की नियमानुसार नियुक्ति की जाएगी ।
- जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा उक्त पदों हेतु, वरीयता के आधार पर तैयार की गई चयन सूची व प्रतीक्षा सूची दिनांक 30.04.2025 तक प्रभावशील मानी जावेगी ।
- लीगल एड डिफेंस कौंसिल सिस्टम कार्यालय हेतु नियुक्त स्टाफ के द्वारा नालसा के पत्र क्रमांक एल/20/2019-नालसा दिनांक 24 अगस्त, 2022 के साथ संलग्न दिशा-निर्देशों का पालन किया जाना सुनिश्चित किया जावेगा, तथा उसी के अनुसार नियुक्त स्टाफ की सेवा भी समाप्त की जा सकेगी । साथ ही नालसा के पत्र क्रमांक F.N.L/20/2019-NALSA dated 11-02-2023 एवं पत्र क्रमांक F.N.L/20/2019-NALSA dated 14-2-2023 एवं लीगल एड डिफेंस कौंसिल सिस्टम संशोधित स्कीम, 2022 के प्रावधानों के अधीन निर्धारित किये गये कार्यों को, नियुक्त किये गये स्टाफ कार्य सम्पादित करेंगे, यदि कार्य संतोषजनक नहीं होने पर, अथवा कर्तव्य पर बिना किसी सूचना के अनुपस्थित रहते हैं तथा आपराधिक/राजनीतिक गतिविधियों में संलिप्तता पाये जाने पर भी, ऐसे स्टाफ की सेवायें बिना किसी सूचना के समाप्त कर दी जावेगी ।
- लीगल एड डिफेंस कौंसिल सिस्टम संशोधित स्कीम, 2022 में प्रावधानित अनुसार, लीगल एड डिफेंस कौंसिल कार्यालय के कार्य हेतु निर्धारित आचार संहिता का पालन अनिवार्यतः करेंगे ।

6. राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली के पत्र क्रमांक F.No. L-27/2022-NALSA (Part File) 4678-4714 dated 27th March, 2024 के द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे। जिसके अनुसार लीगल एड डिफेंस कौंसिल सिस्टम कार्यालय हेतु नियुक्त स्टाफ के संविदात्मक अनुबंध की शर्तों का पालन सुनिश्चित करने हेतु कोई भी स्टाफ उक्त पदों पर सरकारी वेतन, भत्ते या अनुलाभों को नियमित किये जाने अथवा नियमित वेतनमान प्राप्त करने हेतु किसी भी प्रकार का दावा नहीं करेगा।
7. उपरोक्त समस्त नियुक्तियां संविदात्मक अनुबंध के आधार पर की गई है तथा उन्हें किया जाने वाला भुगतान, मानदेय के रूप में हैं, वेतनभोगी के रूप में नहीं है।

अन्य शर्तें कार्य, सेवा समाप्ति, कोड ऑफ एथिक्स, अवकाश एवं अन्य शर्तें माननीय नालसा के पत्र क्रमांक LADCS/2022 दिनांक 24 अगस्त 2022 के अनुसार रहेगी।

(मनीष कुमार ठाकुर)
प्रधान जिला न्यायाधीश/अध्यक्ष
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
जगदलपुर

पृष्ठांक - 220 / जि.वि.से.प्रा.(LADCS) / 2024,
प्रतिलिपि :-

जगदलपुर, दिनांक- 09 मई, 2024

- 1/ छ0ग0राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, बिलासपुर की ओर पत्र क्रमांक 1328/LADCS-23/2024, बिलासपुर 3/5/2024 के परिपालन में सूचनार्थ प्रेषित।
- 2/ चीफ लीगल एड डिफेंस कौंसिल, जगदलपुर, की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 3/ श्री प्रशांत साव पिता स्व0 अनिल कुमार साव, कार्यालय सहायक/क्लर्क, लीगल एड डिफेंस कौंसिल कार्यालय जगदलपुर, निवासी म0क0-12, न्यू कोर्ट के सामने, मोदी स्टील गली, नयापारा, पं0मोतीलाल नेहरू वार्ड जगदलपुर, जिला बस्तर (छ0ग0), पिन-494001
- 4/ श्री मुकुल आनंद जोशी पिता श्री भावेन्द्र जोशी, रिसेप्शनिस्ट-सह-डाटा एंट्री ऑपरेटर (टायपिस्ट) लीगल एड डिफेंस कौंसिल कार्यालय जगदलपुर, निवासी ग्राम+पोस्ट तितिरगांव स्कूलपारा, तहसील जगदलपुर, जिला बस्तर (छ0ग0), पिन-494001
- 5/ श्री देवेन्द्र सलाम पिता श्री रामलाल सलाम कार्यालय भृत्य (मुंशी/अटेन्डेंट) लीगल एड डिफेंस कौंसिल कार्यालय जगदलपुर, निवासी ग्राम+पोस्ट धनोरा (सुकबेड़ा), तहसील केशकाल, जिला कोण्डागांव, (छ0ग0), पिन-494230
- 6/ कार्यालय लिपिक, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जगदलपुर, की ओर सूचनार्थ एवं समस्त अभ्यर्थियों को निर्देशित किया जाता है कि आदेश प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर अपना पदभार ग्रहण करें।

प्रभारी सचिव
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
जगदलपुर